भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3156
18 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

कर्नाटक में पीएलआई योजना

3156. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवेदनों की संख्या कितनी है तथा ऐसी स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिनमें वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो चुका है और अपने निर्धारित निवेश लक्ष्यों को प्राप्त कर चुकी परियोजनाओं का प्रतिशत कितना है;
(ख) पीएलआई संवितरण प्राप्त करने वाली खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के चयन के मानदंड क्या हैं; और
(ग) पीएलआई प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बिक्री और निवेश सीमाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए लागू निगरानी तंत्र क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा कार्यान्वित्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और मिलेट आधारित उत्पादों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएमबीपी) के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में श्रेणी-I [रेडी-टू-ईट (आरटीई)/रेडी-टू-कुक (आरटीसी), फल और सब्जी, समुद्री], श्रेणी-II [जैविक] और श्रेणी-मिलेट [बड़ी इकाई और एमएसएमई] में इक्कीस स्थानों पर सोलह कंपनियों और श्रेणी-III (विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन) में पांच आवेदनों को अनुमोदित किया गया है। कर्नाटक राज्य में, 271.58 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के लिए अनुमोदित आवेदकों द्वारा 312.87 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जो प्रतिबद्ध निवेश से 15.20% अधिक है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित सभी इकाइयों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

(ख): पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के चयन के लिए योजना दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित मानदंड **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रस्तावों की फाईल की गई जीएसटी, चार्टर्ड इंजीनियर के प्रमाणपत्र तथा वास्तविक निरीक्षण के अनुरूप बीजकों,बिक्री को प्रमाणित करनेवाले सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच करने के पश्चात अनुमोदित आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण, प्रोत्साहन संबंधी दावों की संवीक्षा के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम) को एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, पीएलआई प्रोत्साहनों का दावा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बिक्री और निवेश सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मानक परिचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) निर्धारित की गई हैं।

*****

अनुबंध

दिनांक 18.12.2025 को उत्तर हेतु "कर्नाटक में पीएलआई योजना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3156 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पीएलआईएसएफपीआई और पीएलआईएसएमबीपी के अंर्तगत खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के चयन के लिए मानदंड

श्रेणियाँ	खंड	वर्ष 2019-20 में सभी खाद्य उत्पादों की न्यूनतम बिक्री (करोड़ रुपये में)	न्यूनतम निवेश (करोड़ रुपये में)
श्रेणी-I	आरटीई/ आरटीसी	500	100
	प्रसंस्कृत फल और सब्जियां	250	50
	समुद्री उत्पाद	600	75
	मोत्ज़रेला पनीर	150	10 एमटीपीडी संयंत्र – 23 करोड़ रुपये
श्रेणी-II	• उद्योग आधार / उद्यमी पंजीकृत • प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नवीन/जैविक उत्पाद के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान न्यूनतम 1 करोड़ रुपये की बिक्री हासिल की गई। • आवेदक को जैविक उत्पाद के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए एपीडा के साथ पंजीकृत होना होगा		
श्रेणी-III	• केवल भारतीय ब्रांड ही पूर्णतः भारत में निर्मित खाद्य उत्पाद बेचने के लिए कवर किए गए हैं। • ब्रांडिंग और मार्केटिंग का कार्य आवेदक द्वारा सीधे या उसकी सहायक कंपनी या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा।		
मिलेट उत्पाद	• उपभोक्ता पैक में पैक किए गए और ब्रांडेड रेडी टू कुक/रेडी टू ईट (आरटीसी/आरटीई) खाद्य उत्पाद, जिनमें उत्पाद संरचना में वजन/आयतन के हिसाब से 15% से अधिक मिलेट हो। • प्राथमिक प्रसंस्कृत मिलेट वस्तुएं जैसे छिलका रहित/पॉलिश किए हुए मिलेट अनाज, रंग-बिरंगे मिलेट अनाज और मिलेट आटा/आटा। • बड़ी इकाई: खाद्य उत्पादों की न्यूनतम बिक्री 250 करोड़ रुपये से अधिक • एमएसएमई: खाद्य उत्पादों की न्यूनतम बिक्री 2 करोड़ रुपये से अधिक		